छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या: 708/2002

एकल पीठ

अपीलार्थी(कारागार में):-

डॉक्टर निषाद, आत्मज पुसाऊ, आयु-38 वर्ष, निवासी निकट डंगनिया तालाब, कुम्हारी थाना भिलाई, जिला- दुर्ग।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी -

छत्तीसगढ़ राज्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-374 के अंतर्गत अपील।

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

<u>दांडिक अपील संख्या-708/2002</u>

डॉक्टर निषाद

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री अभय तिवारी, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।

श्री आशीष शुक्ला, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 29-06-2006 को पारित किया गया)

यह अपील दिनांक 15-06-2002 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है जो श्री ए.एस. चंदेल, छठवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण संख्या-34/2002 में सुनाया गया था, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा-376 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और दस वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रुपये के

अर्थदंड तथा अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम होने पर छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डादिष्ट किया गया था।

2. अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने परीक्षण में यह स्वीकार किया था कि छह वर्षीय पीड़िता दिनांक 21-11-2001 को अपराह्न में उसके घर आई थी। यह निर्विवाद है कि धनेश्वरी बाई, अपीलार्थी की पुत्रवधू, पीड़िता को अपने घर ले गई थी। तर्क के दौरान, यह भी निर्विवाद रहा कि पीड़िता को दिनांक 21-11-2001 को उसके निजी अंगों पर चोट आई थी और रक्तस्राव हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक 21-11-2001 को पीड़िता, जिसकी आयु छह वर्ष थी, अपीलार्थी के घर खेलने गई थी। अपीलार्थी ने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके अंतर्वस्त्र उतारने के बाद उसके साथ बलात्संग किया। पीड़िता की योनि से गंभीर रक्तस्राव शुरू हो गया। पीड़िता को अपीलार्थी की पुत्रवधू धनेश्वरी बाई ने उसकी माता जयंती बाई (अभि.सा.-1) के पास पहुँचाया। पीड़िता ने अपनी माता को अपीलार्थी द्वारा बलात्संग किए जाने की सूचना दी। डॉ. सुशील कुमार सोनी (अभि.सा.-13) ने पीड़िता को प्राथमिक उपचार दिया और पाया कि पीड़िता के योनि द्वार से गंभीर रक्तस्राव हुआ था। योनिच्छद फटा हुआ था। पीड़िता ने उन्हें बताया कि अपीलार्थी ने उस पर यौन हमला किया था।

4. पीड़िता की माता जयंती बाई (अभि.सा.-1) द्वारा पुलिस चौकी कुम्हारी में शाम 7.20 बजे उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज कराई गई थी। रात

11.30 बजे पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण पर, डॉ. मधु श्रीवास्तव (अभि.सा.-10) ने पाया कि पीड़िता की योनि से रक्तस्राव हो रहा था। चूंकि पीड़िता स्थानीय परीक्षण की अनुमति नहीं दे रही थी, इसलिए यह सामान्य संज्ञाहरण के तहत किया गया। यह पाया गया कि 5 बजे की स्थिति में 1.5 सेमी आकार का द्वितीय श्रेणी का योनि विदार था जो मूलाधार के 1 सेमी तक फैला हुआ था और ताजा रक्तस्राव हो रहा था। घाव का मरहम किया गया। यह अभिमत दिया गया था कि पीड़िता के साथ 12 घंटे के भीतर मैथुन किया गया हो सकता है। अपीलार्थी का परीक्षण भी दिनांक 22-11-2001 को दोपहर 12.30 बजे डॉ. श्रीनिवास चौबे (अभि.सा.-11) द्वारा किया गया था जिन्होंने अपीलार्थी को मैथुन करने में सक्षम पाया। लिंग से स्मेग्मा अनुपस्थित था। यह अभिमत दिया गया कि परीक्षण के 48 घंटों के भीतर मैथुन किये जाने होने की संभावना थी। अन्वेषण के पूरा होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 376 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन चलाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी ने दोष का अभित्यजन किया और निर्दोषता का अभिवचन किया। बचाव में, यह तर्क दिया गया कि पीड़िता को हथौड़े से चोट लगी थी। बचाव पक्ष में शंकर (ब.सा.-1) का परीक्षण कराया गया जिसने अभिसाक्ष्य दिया कि पीड़िता ने बताया था कि उसे अपीलार्थी के घर पर गिरने के कारण चोट लगी थी। अभियोजन ने कुल 14 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलंब लेते

हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को कंडिका-1 में यथा-उल्लेखित दंड दिया और दोषसिद्ध किया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय तिवारी ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़िता को हथौड़े पर गिरने के कारण योनि में चोट लगी थी, क्योंकि कंडिका-2 में उसकी यह स्वीकारोक्ति थी कि अपीलार्थी ने उससे छेनी और हथौड़ा लाने को कहा था। यह भी तर्क दिया गया कि यह तथ्य कि अपीलार्थी की पुत्रवधू धनेश्वरी बाई अपीलार्थी के घर में उपस्थित थी और पीड़िता को उसके घर ले गई थी जब योनि से रक्तस्राव हुआ था, और यह तथ्य कि अपीलार्थी द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए डॉ. सुशील कुमार सोनी (अभि.सा.-13) को बुलाया गया था, अपीलार्थी के बचाव की पुष्टि करता है। यह भी तर्क दिया गया कि स्वतंत्र साक्षी पुष्पा (अभि.सा.-2), चंदा बाई (अभि.सा.-3) ने अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया। अंत में, यह तर्क दिया गया कि डॉ. मधु श्रीवास्तव (अभि.सा.-10) ने प्रति-परीक्षण की कंडिका-4 में स्वीकार किया था कि पीड़िता को लगी योनि की चोट किसी कठोर और कुंद वस्तु से लग सकती थी। **रहीम बेग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 343** के प्रकरण के निर्णय का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त के जननांग पर चोट की अनुपस्थिति उसकी निर्दोषता की ओर संकेत करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिए।

8. प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। पीड़िता (अभि.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन अपराह्न में वह अपीलार्थी के घर गई थी जहाँ अपीलार्थी ने उससे छेनी और हथौड़ा लाने को कहा था। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने उसे घर के अंदर लेटा दिया और उसके अंतर्वस्त्र उतार दिए और उसके साथ मैथुन किया जिसके कारण उसके निजी अंगों से रक्तस्राव होने लगा। उसने यह भी कथन किया कि उसने अपीलार्थी द्वारा किए गए यौन हमले का विरोध किया था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने साक्षी के आचरण पर ध्यान दिया है कि उपरोक्त तथ्यों को बताते समय वह न्यायालय में अपीलार्थी को देखकर रोने लगी और अपीलार्थी से डरी हुई महसूस कर रही थी। अपने प्रति-परीक्षण में पीड़िता से यह नहीं पूछा गया कि क्या उसे उसके निजी अंगों पर चोट हथौड़े पर गिरने के कारण लगी थी। न तो प्रति-परीक्षण में और न ही अपीलार्थी द्वारा लिए गए बचाव में यह बताया गया था कि जब अपीलार्थी ने पीड़िता से उसे हथौड़ा देने के लिए कहा तो वह हथौड़े पर गिर गई। यह बचाव भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जैसा कि बचाव पक्ष द्वारा सुझाया गया है कि यदि अपीलार्थी अपने घर की छत पर एक स्टूल पर खड़े होकर साड़ी बांध रहा था और उसने पीड़िता से उसे हथौड़ा देने के लिए कहा था, तो पीड़िता किसी भी तरह से हथौड़े पर गिरने के कारण अपने निजी अंगों पर चोट नहीं खा सकती थी। यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के अंतर्गत अपने परीक्षण में प्रश्न संख्या-12 के उत्तर में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पीड़िता को उसके निजी अंगों पर चोट कैसे लगी। यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ. मधु श्रीवास्तव (अभि.सा.-10) के प्रति-परीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा विशेष रूप से यह नहीं पूछा गया था कि पीड़िता को लगी चोट हथौड़े पर गिरने से लग सकती थी।

9. मैंने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया है। एक सुझाव के रूप में भी साक्ष्य का एक अंश भी मौजूद नहीं है जो यह दर्शा सके कि पीड़िता की माता या पिता का अपीलार्थी के विरुद्ध कोई निजी स्वार्थ था या उसे झूठा फंसाने का कोई कारण था। पीड़िता के परिसाक्ष्य की डॉ. मधु श्रीवास्तव द्वारा पूर्णतः संपुष्टि होती है, (अभि.सा.-10) जिन्होंने कथन किया था कि उन्होंने पाया कि पीड़िता की योनि से रक्तस्राव हो रहा था और वह अपने निजी अंगों के स्थानीय परीक्षण की अनुमति नहीं दे रही थी और सामान्य संज्ञाहरण देने के बाद उसके निजी अंगों का परीक्षण किया गया और पाया गया कि उसे 5 बजे की स्थिति में 1.5 सेमी आकार का द्वितीय श्रेणी का योनि विदार था जो मूलाधार के 1 सेमी तक फैला हुआ था और ताजा रक्तस्राव हो रहा था। यह अभिमत भी दिया गया था कि पीड़िता के परीक्षण से 12 घंटे पूर्व उसके साथ मैथुन किया गया था। डॉ. सुशील कुमार सोनी (अभि.सा.-13) ने स्वीकार किया कि उन्हें पीड़िता के घर पर अपराह्न लगभग 3.30 बजे दिनांक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22.11.2001 को बुलाया गया था और पाया कि रक्तस्राव के साथ योनि विदार था। अभियोजन द्वारा प्रति-परीक्षित किए जाने पर, उन्होंने स्वीकार किया कि पीड़िता ने उन्हें बताया था कि योनि विदार अपीलार्थी के कारण हुआ था। 6 वर्ष की अल्पवयस्क बच्ची के साथ हुए यौन हमले की शर्म और उसके बाद होने वाली बदनामी को ध्यान में रखते हुए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़िता की माता ने डॉ. सुशील कुमार सोनी (अभि.सा.-13) को बताया हो कि उसकी बेटी को खेलते समय लोहे के टुकड़े से चोट लग गई थी क्योंकि डॉ. सुशील कुमार सोनी (अभि.सा.-13) ने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए उस सुझाव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है कि पीड़िता ने उन्हें बताया था कि वह अपीलार्थी के घर खेलते समय गिर गई थी और उन्होंने विशेष रूप से कथन किया है कि उनके पूछने पर पीड़िता ने अपीलार्थी की ओर आरोपण की उँगली उठाई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पीड़िता के साक्ष्य की संपुष्टि उसकी माता जयंती बाई (अभि.सा.-1) द्वारा भी की गई है जिन्होंने कथन किया है कि जब धनेश्वरी बाई पीड़िता को घर लाई थी तो उन्होंने पाया कि उनकी बेटी की योनि से रक्तस्राव हो रहा था। पूछने पर, पीड़िता ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थी ने उसे चादर पर लिटाकर उसके साथ बलात्संग किया था। प्रति-परीक्षण में ऐसा कुछ भी निकलकर नहीं आया है जिससे उसकी विश्वसनीयता खंडित हो या यह पता चले कि इस साक्षी का अपीलार्थी को झूठा फंसाने का कोई

मकसद था। उसी दिन प्रदर्श पी-1 के अनुसार, जयंती बाई द्वारा उसी दिन दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पीड़िता के परिसाक्ष्य की पूर्णतः संपुष्टि करती है।

11. यद्यपि चंदा बाई (अभि.सा.-3) और लता मिश्रा (अभि.सा.-5) ने अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया, फिर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया कि पीड़िता के घर जाने पर उन्होंने पाया कि पीड़िता की माता रो रही थी। डॉ. श्रीनिवास चौबे (अभि.सा.-11) जिन्होंने अपीलार्थी का परीक्षण दिनांक 22.11.2001 को अपराह्न लगभग 12.30 बजे किया था, उन्हें भी अपीलार्थी के लिंग पर कोई स्मेग्मा नहीं मिला और अभिमत दिया कि अपीलार्थी द्वारा 48 घंटों के भीतर मैथुन किया जा सकता था। जहाँ तक **रहीम बेग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 343** का प्रकरण है, जिसका अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अवलंब लिया है, उस प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और वर्तमान प्रकरण पर बिल्कुल प्रयोज्य नहीं होते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **मदन लाल विरुद्ध जम्मू-कश्मीर राज्य, ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 386** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पीड़िता की माता का यह कथन कि पीड़िता ने घर पहुँचते ही पूरी घटना का वर्णन किया, उसे भी संपुष्टिकारक साक्ष्य माना जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में पीड़िता और अपीलार्थी के बीच कोई शत्रुता नहीं थी। पीड़िता के साक्ष्य में विसंगतियाँ गौण विसंगतियाँ हैं और

केवल प्रति-परीक्षण में एक वाक्य को पकड़कर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि पीड़िता एक विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

13. यदि पीड़िता को हथौड़े पर गिरने के कारण चोट आई थी और अपीलार्थी की पुत्रवधू धन्वंतरी घर के अंदर उपस्थित थी, तो वह बचाव के लिए सबसे अच्छी साक्षी थी। यदि बचाव का पक्ष सत्य होता, तो अपीलार्थी ने उसे बचाव साक्षी के रूप में परीक्षित किया होता क्योंकि धन्वंतरी ही वह व्यक्ति थी जो घटना के बाद पीड़िता को उसके घर ले गई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने ससुर द्वारा एक अल्पवयस्क बच्ची पर किए गए कामुक यौन हमले के प्रति अत्यधिक घृणा के कारण, उसने बचाव साक्षी के रूप में साक्षी के कटघरे में प्रवेश नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर अपनी गंभीर विचारणा करने के बाद और पीड़िता के साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद, मेरा यह सुविचारित अभिमत है कि जहाँ पीड़िता का साक्ष्य सत्य है, वहीं अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। पीड़िता का परिसाक्ष्य न केवल स्वाभाविक और विश्वास के योग्य है, अपितु माता जयंती बाई (अभि.सा.-1), प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 और डॉ. मधु श्रीवास्तव (अभि.सा.-10) तथा डॉ. सुशील कुमार सोनी (अभि.सा.-13) के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट भी है। इस परिप्रेक्ष्य में, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा धारा-376 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके तहत दिया गया था दण्ड सुआदिष्ट है और उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. परिणामस्वरूप, गुणदोषहीन होने के कारण यह अपील निष्फल होती है और खारिज की जाती है।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur